

प्रेस नोट दिनांक- 06.09.2024

जनपद- चन्दौली

□ जनपद चन्दौली पुलिस को आईजीआरएस से प्राप्त सभी 100% शिकायतों का निस्तारण करने पर मिली लगातार तीसरे माह भी प्रथम रैंक

□ माह अगस्त 2024 की रैंकिंग में जनपद चन्दौली 125 में से 125 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम है।

चन्दौली: अपराध एवं अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार और शासन की शून्य सहनशीलता की नीति पर अक्षरशः अमल कर रही जनपद चन्दौली पुलिस ने कानून व्यवस्था के साथ ही शिकायत सुनवाई और निस्तारण में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। चन्दौली पुलिस को 30प्र0 सरकार की समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) से प्राप्त सभी 100% शिकायतों का निस्तारण करने पर लगातार 03 माह से प्रथम रैंक मिल रही है। माह अगस्त 2024 की रैंकिंग में जनपद चन्दौली 125 में से 125 अंक प्राप्त कर प्रदेश में लगातार तीसरे माह भी प्रथम है, साथ ही जनपद चन्दौली के 16 थानों 90 अंकों में से 90 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

यह उपलब्धि यून ही नहीं मिली इसके लिये श्री आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण, त्वरित व समयबद्ध निस्तारण हेतु जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जाता है। जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) के कार्यों की स्वयं मानीटरिंग करने सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण को लगातार निर्देश दिए जाते रहते हैं। जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल द्वारा सम्बन्धित थानों पर आनलाईन प्रेषित की जाती है। समस्त सम्बन्धित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा प्राप्त सन्दर्भों की जांच आख्या आनलाईन दिये गये समय सीमा के अन्दर संबंधित को प्रेषित की जाती है और आवेदक पुलिस कार्यवाही से सन्तुष्ट है कि नहीं इसका फीडबैक भी पुलिस कार्यालय से लिया जाता है। जिससे की गयी जांच एवं पुलिस कार्यवाही की गुणवत्ता उच्च होती है।

प्रेस नोट दिनांक-06.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 22.05.03 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र कुमार गोंड उर्फ मुन्नू गोंड पुत्र लाल जी निवासी महलू का पुरा फुलवरिया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी 2.रामविलास गोंड उर्फ सुरे उर्फ सागर पुत्र लालजी निवासी आवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 87/2003 धारा 379,411 भादवि थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व अभियोजक श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी रमाशंकर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-06.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र कुमार गोंड उर्फ मुन्नू गोंड पुत्र लाल जी निवासी महलू का पुरा फुलवरिया थाना कैण्ट जनपद वाराणसी 2.रामविलास गोंड उर्फ सुरे उर्फ सागर पुत्र लालजी निवासी आवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

प्रेस-नोट जनपद चन्दौली

दिनांक-06.09.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाहें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक ड्यूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस नोट दिनांक-06.09.2024

जनपद: चन्दौली

□कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा चलाया जा रहा है,संदिग्ध व्यक्तियों/ वस्तुओं व वाहनों की सघन चेकिंग अभियान

चंदौली:- श्री आदित्य लांगहे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद चन्दौली में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की बैरिकेंटिंग लगाकर गहनता से चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जिससे आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक-06.09.2024

(आपरेेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुँवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.01.1991 को धारा 147,323,325,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.दारा चौहान पुत्र रामनाथ 2.शिवधनी पुत्र जगन्नाथ निवासीगण पचवनिया थाना चकिया चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 194/1991 धारा 147,323,325,504 भादवि थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटारिंग सेल व अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-06.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री कुँवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.दारा चौहान पुत्र रामनाथ 2.शिवधनी पुत्र जगन्नाथ निवासीगण पचवनिया थाना चकिया चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2024

जनपद चन्दौली

- पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण
- समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गों पर चेकिंग के दौरान 03 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावनी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रूप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गाँवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानों पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मीयों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओं एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 03 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट-दिनांक: 06.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 06.09.2024 को कुल 151 वाहनों का चालान करते हुए 1,77,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 151 वाहनों का चालान करते हुए 1,77,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात, रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि(0)/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गों, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरूक किया गया। साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार	चालान की संख्या
1	मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-03	
2	बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-06	
3	बिना हेलमेट- 33	
4	नो पार्किंग- 67	
5	गलत दिशा में वाहन चलाना- 31	
6	बिना लाइसेंस वाहन चलाना- 01	
7	खतरनाक ढंग से वाहन चलाना- 01	
8	बिना फिटनेस वाहन चलाना- 02	
9	ओवरस्पीड- 07	

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 06.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरण:-

(1)संपूर्ण चालान:-151

(2)संपूर्ण कारित राजस्व:-1,77,000/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-06.09.2024

जनपद: चन्दौली

चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:-

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगामी त्योहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।